निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 पौष 1933 (श0)

(सं0 पटना 822) पटना, वृहस्पतिवार, 29 दिसम्बर 2011

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

30 नवम्बर 2011

सं० 22/नि0सि0(जम0)–12–12/2005/1477—श्री संजीवन चौधरी, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, खरकई नहर प्रमण्डल, राजनगर सम्प्रति सेवा–निवृत के विरूद्व उक्त प्रमण्डल में पदस्थापन अवधि में निविदा सूचना सं0 01/2003–04 को बिना सक्षम पदाधिकारी से अनुमति प्राप्त किए हुए तोड़कर निविदा निकालने, इसके बिक्री हेतु अंचल कार्यालय एवं मुख्य अभियन्ता कार्यालय नहीं भेजे जाने, सरकारी आवास में रहते हुए निर्धारित मकान भाड़ा की कटौती नहीं करने एवं उनके मुख्यालय में दैनिक विश्राम आवास भत्ता के रूप में 3,867/– (तीन हजार आठ सौ सरसठ रूपये मात्र) एवं मकान भाड़ा के रूप में 6,696/– (छः हजार छः सौ छयानवे रूपये मात्र) अधिक राशि प्राप्त करने से संबंधित आरोपों के लिए श्री चौधरी के विरूद्व बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 19 के तहत विभागीय पत्रांक 998, दिनांक 24 अकतूबर 2007 एवं 744 दिनांक 15 जुलाई 2006 द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया।

श्री चौधरी से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षोपरान्त उक्त वर्णित आरोप प्रमाणित पाए गये। उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय अधिसूचना सं0 753, दिनांक 5 सितम्बर 2008 द्वारा निम्न दण्ड संसूचित किया गया।

1. ''निन्दन'' वर्ष 2003–04
2. पॉच वेतनवृद्वि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।
3. 10,563/–रूपये (दस हजार पॉच सौ तिरसठ रूपये मात्र)

उक्त दण्डादेश के विरूद्व श्री चौधरी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0डब्लू0जे0सी0 सं0 8711/09 दायर किया गया जिसमें दिनांक 9 अगस्त 2011 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा न्याय निर्णय पारित करते हुए उक्त वर्णित दण्डादेश दिनांक 5 सितम्बर 2008 के तीन दण्डों में से निम्नांकित दो दण्डों को निरस्त कर दिया गया।

1. ''निन्दन'' वर्ष 2003–04
2. पॉच वेतनवृद्वि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

   लेकिन माननीय उच्च न्यायालय द्वारा तीसरा दण्ड 10,563/– रूपये की वसूली को बरकरार रखा गया।

उक्त वर्णित याचिका सी0 डब्लू0 जे0 सी0 सं0 8711/09 में दिनांक 9 अगस्त 2011 को पारित न्याय निर्णय की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षोपरान्त सरकार द्वारा उक्त वर्णित याचिका में पारित न्याय निर्ण्याय का अनुपालन करने का निर्णय लिया गया।

उपरोक्त वर्णित स्थिति में सी0 डब्लू0 जे0 सी0 सं0 8711/09 में दिनांक 9 अगस्त 2011 को पारित न्याय निर्णय का अनुपालन करते हुए श्री संजीवन चौधरी, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, खरकई नहर प्रमण्डल राजनगर सम्प्रति सेवा–निवृत को विभागीय अधिसूचना सं0 753, दिनांक 5 सितम्बर 2008 द्वारा संसूचित तीन दण्डों में से निम्नांकित मात्र दो दण्डों को निरस्त किया जाता है।

1. ''निन्दन'' वर्ष 2003–04
2. पॉच वेतनवृद्वि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

परन्तु तीसरा दण्ड 10,563/–रूपये (दस हजार पॉच सौ तिरसठ रूपये मात्र) की वसूली को यथावत रखा जाता है।

उक्त आदेश श्री चौधरी सेवा–निवृत अधीक्षण अभियन्ता को संसूचित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
भरत झा,
सरकार के उप–सचिव ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 822-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in